राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प. 21(32)प्राशि/आयो/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 15.10.2019

1. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्।

विषयः– राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं सम्भाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के पश्चात् एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश के क्रम में।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य स्तर पर राज्य में शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं सम्भाग स्तर के प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में संचालित ब्लॉक, जिला एवं सम्भाग स्तर के कार्यालयों का पुनर्गठन कर सम्भाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एकीकृत शिक्षा संकुल स्थापित किए गए है। इन आदेशों की निरन्तरता में राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं सम्भाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 5.0 – वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) के सम्बन्ध में व्यवस्था, 5.1 में ब्लॉक, जिला एवं सम्भाग एकीकृत शिक्षा संकुलों में कार्यरत अधिकारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) की व्यवस्था परिशिष्ट –12 के अनुसार निर्धारित की गयी है। उसी क्रम में जिला स्तर पर कार्यरत डाइट प्राचार्य के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :–

क्र.	कार्यालय एवं व्यक्ति	प्रतिवेदक	समीक्षक	स्वीकारकर्ता
1.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं जिला परियोजना समन्वयक (DPC)	निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद्	आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ठ शासन सचिव

शेष पूर्ववत रहेगा।

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि , निम्न को सूचनार्थ एवं सावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।

www.rajteachers.com

5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/2/5)/प्रारम्भिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त सम्भाग (वर्तमान सम्भागीय उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा।
10. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
11. समस्त, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान ।
12. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा।
13. समस्त प्राचार्य डाइट ।
14. समस्त, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ. समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण/शाला दर्शन पोर्टल/स्कूल शिक्षा विभाग वेबसाइट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
18. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन. यादव)
अनुसंधान अधिकारी

www.rajteachers.com